इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2011—माघ 26, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. एफ. ए-3-28-2011-1-पांच (05).—यत: राज्य सरकार की यह राय है कि जनहित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2014 तक उक्त अधिनियम के समस्त उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

व्यक्तियों के वर्ग (1)	वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (2)
नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खण्ड (न) में यथा परिभाषित नि:शक्त व्यक्ति.	यदि ऐसा व्यक्ति, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खण्ड (त) में यथा परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करवाता है कि छूट का दावा करने वाला व्यक्ति उस कालावधि में, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, नि:शक्तता से पीड़ित रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. एफ ए-3-28-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-28-2011-1-पांच (05), दिनांक 15 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th February 2011

F-A-3-28-2011-1-V-(05) .—WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is expendient so to do in the public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government hereby exempts with effect from 1st April 2010 to 31st March 2014 the class of persons specified in column (1) of the table below subject to the conditions specifed in column (2) of the said table from the operation of all provisions of the said Act:—

TABLE

Class of persons (1)	Conditions subject to which exemption is granted (2)
Persons with disability as defined in clause (t) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996).	Such person produces or causes to be produced a certificate issued by the medical authority as defined in clause (p) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996) for the purpose that person claiming exemption is suffering from disability in relation to the period for which exemption is claimed.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.